राज्यपाल पटेल से राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पवैया ने सौजन्य भेंट की

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल से राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने गुरूवार को राजभवन पहुँचकर सौजन्य भेंट की। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने राज्य वित्त आयोग का कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी राज्यपाल को दी। उल्लेखनीय है कि 23 मार्च 2026 को आयोग के अध्यक्ष पवैया के साथ आयोग के सदस्य के. के. सिंह तथा सदस्य सचिव वीरेन्द्र कुमार ने भी अपना-अपना कार्यभार ग्रहण किया है। राज्यपाल पटेल ने वित्त आयोग की भूमिका, कार्यप्रणाली तथा विभिन्न गतिविधियों को लेकर मार्गदर्शन प्रदान

किया। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि राज्य वित्त आयोग अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष पवैया ने राज्यपाल पटेल को आश्वस्त किया कि आयोग को सौंपे गए दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाएगा और राज्य के विकास में आयोग अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाएगा। राज्यपाल पटेल ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि आयोग को सौंपे गए दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना ही राज्य और देश की सच्ची सेवा है।

प्रदेश सरकार किसानों के हित में निरंतर कर रही कार्य: ऊर्जा मंत्री तोमर

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि म.प्र. सरकार प्रदेश के किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। जैसे कि अटल कृषि ज्योति योजना के तहत 10 हॉर्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं के बिलों पर म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत दरों पर सब्सिडी स्वीकृत की जाती है, जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली राशि नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की मात्र लगभग 7 प्रतिशत राशि ही जमा करना होती है जबकि म.प्र. सरकार कृषि उपभोक्ताओं के बिलों का लगभग 93 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में वहन करती है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन की अटल गृह ज्योति योजना के तहत 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रूपये एवं अतिरिक्त 50 यूनिट पर वास्तविक दर से भुगतान करने का प्रावधान है। अतः घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर पूर्व के भांति अटल गृह ज्योति योजना के तहत मात्र 100 रुपये का ही भुगतान करना होगा जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ से शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में लगभग 600 रूपये वहन किये जायेंगे। इस प्रकार के घरेलू उपभोक्ता जिनको सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है उनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग एक करोड़ है, जबकि प्रदेश में कुल लगभग 38 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लगभग 25 हजार 800 करोड़ सब्सिडी के रूप में वहन किये जा रहे है।

ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को राहत

प्रवेश नवीनीकरण के लिए विशेष मौका 28 मार्च तक खुला रहेगा पोर्टल

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए प्रवेश नवीनीकरण के लिए विशेष अवसर देने का फैसला किया है। यह सुविधा खासतौर पर उन छात्रों के लिए है, जो पूरक परीक्षा परिणाम देर से आने के कारण समय पर एडमिशन रिन्यू नहीं कर पाए थे। अब ऐसे विद्यार्थी 28 मार्च 2026 तक पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अवसर सीमित समय के लिए है, इसलिए छात्रों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

इन छात्रों को मिलेगा फायदा

उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, यह सुविधा ग्रेजुएशन के दूसरे, तीसरे और चौथे साल के साथ-साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लागू होगी। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. दिवा मिश्रा ने बताया कि कई विद्यार्थी पूरक परीक्षा के परिणाम में देरी के कारण प्रवेश नवीनीकरण से वंचित रह गए थे। ऐसे छात्रों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विभाग ने प्रवेश पोर्टल को 28 मार्च 2026 तक सक्रिय रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान छात्र अपनी लंबित औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। अधिकारियों ने छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते प्रक्रिया पूरी करें।

कॉलेजों को दिए गए यह निर्देश

सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने कॉलेजों में ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करें, जिनका प्रवेश नवीनीकरण बाकी है। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि छात्र निर्धारित समय-सीमा में शुल्क जमा कर प्रक्रिया पूरी करें। उच्च शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि यह सुविधा केवल सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है।

न्यायालय तहसीदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-1412/अ-12/2024-25
मौजा- धामनिया

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है। कि आवेदक श्रीमती बलप्रीत कौर पत्नी जसपाल सिंह नि. ग्राम धामनिया तहसील हुजूर भोपाल म.प्र. ने द्वारा म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन पत्र के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 777/2, 779 रकवा 0.4740, 1.5500 हे. स्थित ग्राम धामनिया प.ह.न. 58 तहसील हुजूर जिला भोपाल का सीमांकन दिनांक 05/03/2026 किया गया है। सीमांकन की पुष्टि हेतु न्यायालय में प्राप्त उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 06/04/2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

समयावधि पश्चात् उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 26/03/2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील-हुजूर जिला भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र.5339/अ-6/25-26

इश्तहार

आवेदक दीपक घोपे आ./पत्नी सुखदेव घोपे निवासी ग्राम नयापुरा द्वारा ग्राम नयापुरा स्थित खसरा नंबर 32/2 व अन्य क्षेत्रफल 300 वर्गफिट का विक्रय पत्र/फौती/ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 07/04/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र.5341/अ-6/25-26

इश्तहार

आवेदक दीपक घोपे आ./पत्नी सुखदेव घोपे निवासी ग्राम नयापुरा द्वारा ग्राम नयापुरा स्थित खसरा नंबर 53/3 व अन्य क्षेत्रफल 2400 वर्गफिट का विक्रय पत्र/फौती/ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 07/04/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र.5992/अ-6/25-26

इश्तहार

आवेदक पल्लवी थदानी आ./पत्नी विजय थदानी निवासी ग्राम बैरागढ चीचली द्वारा ग्राम स्थित खसरा नंबर 187 क्षेत्रफल 0.5400 हे. का विक्रय पत्र/फौती/ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 07/04/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

ग्रामीणजन विद्युत से सुरक्षा हेतु सावधानियाँ जरूर बरतें

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीणजनों से आग्रह किया है कि वे अपने खेत-खलिहानों में विद्युत से सुरक्षा हेतु सावधानियां जरूर बरतें। अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में असावधानीवश विद्युत से कई बार अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। यह दुर्घटनाएं कई बार जान-माल का नुकसान भी कर देती हैं। इनसे बचने के लिए ग्रामीणजनों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कंपनी ने कहा है कि कभी भी विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी न करें क्योंकि ऐसा करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जरा भी असावधानी या छेड़खानी से बड़े-बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। इसलिए ऐसी लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है उन्हें आँधी तूफान या अन्य किसी कारण से टूटने वाले तारों को अकस्मात् छूने का प्रयास न करें। इस दौरान जरूरी होगा कि लाइन टूटने की सूचना तत्काल निकटस्थ बिजली कंपनी के अधिकारी को अथवा विद्युत कर्मचारी को दें। संभव हो तो किसी आदमी को उस जगह, अन्य यात्रियों को चेतावनी देने के लिये भी बिठा दें। किसानों को सलाह है कि वे खेतों खलिहानों में ऊँची-ऊंची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियां, झोपड़ी, मकान अथवा तंबू आदि।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मैं अंजना प्रसाद गुहा w/o श्री बिश्वदेब गुहा 40,रचना विहार अवधपुरी हुजुर, भोपाल, मेरा आधार क्रमांक 2889 6463 3099 एवं पेन कार्ड अनुसार मेरा सही नाम अंजना प्रसाद गुहा है जबकि अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा अधूरा व गलत नाम अंकित हो गया है जैसे, अंजना गुहा, अंजना प्रसाद बी. गुहा, अंजना पी. गुहा, एवं अंजना प्रसाद, जोकि गलत है। सही नाम शासकीय दस्तावेज आधार व पैन कार्ड के अनुसार मेरा नाम अंजना प्रसाद गुहा सभी दस्तावेजो में सुधार कर लिखा-पढ़ा जाना पहचाना जायें।

ANJANA PRASAD GUHA
W/O BISHWADEB GUHA

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-9116/अ-6/25-26
मौजा-फतेहपुर डोबरा तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका 01 श्रीमती रेखा रघुवंशी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह रघुवंशी 02 तनवी रघुवंशी पुत्री श्री महेन्द्र सिंह रघुवंशी दोनो निवासी मकान नं. 291 रोहित नगर फेस-2 भोपाल मप्र, ने द्वारा म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र. 5095/5 दिनांक 21/03/2015 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 360/1/1/1/1/1-361/1/1, 360/3/1, 361/3, 362, 363, 364, 365 कुल रकबा मे से 10000 वर्गफिट भूमि ग्राम फतेहपुर डोबरा प.ह.न. तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं या इससे अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 10/04/26 को या इससे न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23/03/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-1076/अ-12/25-26
मौजा-कोड़िया

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है। कि आवेदक श्री घनश्याम पिता श्री फूल सिंह जी निवासी ग्राम काडिया तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. ने द्वारा म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन पत्र के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 146/2, 163, 164/1,199/1 रकवा 0.1800, 0.4700, 1.1000, 1.0900 हे. स्थित ग्राम कोडिया प.ह.न. 67 तहसील हुजूर जिला भोपाल का सीमांकन दिनांक 03/11/2025 किया गया है। सीमांकन की पुष्टि हेतु न्यायालय में प्राप्त उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 06/04/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

समयावधि पश्चात् उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 26/03/2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील-हुजूर जिला भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण कमांक 0191/बी-121/25-26
मौजा-छापरी तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती नुसरत जहां पत्नी स्व. श्री आरिफ निवासी मकान न. 21 ओल्ड किसेन्ट स्कूल के पास जिंसी रोड जहांगीराबाद भोपाल, के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नामांतरण पंजी क्रमांक 07 आदेश दिनांक 06/01/2016 के आधार पर स्वीकृत नामांतरण उपरांत आदेश के अमल के दौरान ग्राम छापरी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 2/1/4/क/0002 रकबा 0.241 हे. में से 0.0590 हे. नवीन खसरा क्र. 2/1/4/2 रकबा 0.241 हे. में से 0.0590 हे. भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज किए जाने का अनुरोध किया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 30.03.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23.03.2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-0193/बी-121/25-26
मौजा-समसगढ़ तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद उमेर आत्मज श्री मोहम्मद मुनव्वर निवासी मकान न. 05 गली न. 2 जयश्री हॉस्पिटल के पीछे कमला पार्क भोपाल, के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नामांतरण पंजी क्रमांक 04 आदेश दिनांक 19.02.2013 के आधार पर स्वीकृत नामांतरण उपरांत आदेश के अमल के दौरान ग्राम छापरी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 15, 16/1/1 कुल रकबा मे से 0.060 हे. भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज किए जाने का अनुरोध किया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 30.03.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23.03.2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-7747/अ-6/25-26
मौजा-कलखेडा तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश सेन आत्मज श्री यदुनाथ सेन एवं श्रीमती अर्चना सेन पत्नी श्री राजेश सेन पत्नी श्री राजेश सेन दोनो निवासी झुग्गी न. 31 कोलार कॉलोनी रेस्ट हाउस के सामने भोपाल, मप्र, ने द्वारा म. प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र.-एमपी059702019ए1362514 दिनांक 30/05/2019 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 337/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा में से 1000 वर्गफिट भूमि ग्राम कलखेड़ा प.ह.न. 50 तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 10.04.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25.03.2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी टी नगर भोपाल
(शेड नं. 06 बारह दफ्तर जवाहर चौक भोपाल)

प्र.क्र.0225/अ-6/25-26

// इश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती साधना मिश्रा पत्नी श्री अमित कुमार मिश्रा निवासी वार्ड नं. 11, आई. आई.टी मार्ग चर्च के पास, बालाघाट द्वारा ग्राम चूनाभट्टी स्थित भूमि खसरा नंबर 85/1/4/2 का अंश भाग 750 वर्गफिट भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में किसी भी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में 07 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

नाम सुधार/नाम परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना

मैं, मनोहर, पिता राधेश्याम, निवासी मकान नं. 168, खाडेर, खादर, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश), समस्त जनसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में तकनीकी/लिपिकीय त्रुटि के कारण उसका नाम रिशव अंकित हो गया है, जबकि उसका सही एवं वास्तविक नाम रिशभजाटव है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रिशव तथा रिशभ जाटव दोनों नाम एक ही व्यक्ति (मेरे पुत्र) को दर्शाते हैं तथा यह त्रुटि अनजाने में हुई है।

अतः भविष्य में मेरे पुत्र के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, शैक्षणिक, बैंकिंग एवं अन्य अभिलेखों में उसका नाम रिशभ जाटव के रूप में ही पढ़ा, लिखा एवं माना जाए। यह सार्वजनिक सूचना नाम सुधार के उद्देश्य से प्रकाशित की जा रही है।

गलत दर्ज नाम: रिशव (Rshav)

सही नाम: रिशभ जाटव (Rishabh Jatav)

सूचनाकर्ताः
मनोहर
पिता-राधेश्याम
निवासी-मकान नं. 168, खाडेर, खादर
जिला विदिशा (मध्य प्रदेश)

कार्यालय राजस्व निरीक्षक, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), भोपाल

क्रमांक क्यू-1/रा.नि./25-26
भोपाल दिनांका 23/03/2026

// नक्शा बटांकन सूचना-पत्र //

प्रति,
01 इएलिक्झर गार्डन द्वारा सोनश राजदेव ग्राम -पलासी 02 श्री हिमांशु जैन ग्राम-पलासी 03 श्री मूरत सिंह ग्राम-पलासी 04 सर्वसाधारण भूमिस्वामी एवं हितबद्ध पक्षकार
विषयः- भूमि के बटॉन हेतु स्थल निरीक्षण विषयक।
संदर्भः- न्यायालय तहसीलदार स.हि.राम नगर (बैरागढ़), भोपाल के रा.प्र. क्रमांक-/अ-3/25-26 दि.- //2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत संबंध में माननीय न्यायालय तहसीलदार, संत हिरदराम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के आदेश दिनांक 10/03/2026 के अनुसार आवेदक इद काबरा पत्नी श्री संदीप काबरा की स्वामित्व की नगरीय नगरीय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-पलासी भोपाल में अवस्थित सर्वेक्षण संख्याक / भूखण्ड संख्याक 138/2/2/8 रकबा क्रमशः 0.29 एकड रा.नि.वृत्त- संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) जिला-भोपाल के द्वारा बटॉन हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः उक्त आदेश के पालन में मेरे द्वारा दि. 26/03/2026 को दोपहर 1.00 बजे से बटॉन हेतु अभिलेख अनुसार मौके पर चर्तुसीमा एवं अधिपत्य का नाप आदि कार्यवाही किया जाना निश्चित किया गया है।

आपको पड़ोसी कृषक / हितबद्ध पक्षकार होने के कारण सूचित किया जाता है कि आप भी बटॉन हेतु कार्यवाही के समय भूमि स्वामित्व संबंधी मूल एवं छायाप्रति दोनों दस्तावेजों सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

आपकी अनुपस्थिति की दशा में बटॉन हेतु कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी। किसी शासकीय कार्य के आने से बटॉन की कार्यवाही की तिथि स्थगित की जायेगी, जिसकी सूचना आपको पृथक से दी जायेगी।

राजस्व निरीक्षक संत हिरदारास नगर भोपाल

कार्यालय राजस्व निरीक्षक, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर नजूल वृत्त, भोपाल म.प्र.

क्रमांक क्यू/रा.नि./बटांकन
भोपाल दिनांका 08/03/2026

// सूचना पत्र //

1-श्रीमती सिमरन तुलसानी पत्नी राम तुलसानी नि. भोपाल (बैरागढ) 2- सोना दिक्षित पत्नी संदीप दिक्षित नि. अरेरा कालोनी ई-1/22 भोपाल 3-श्री योगेन्द्र कुमार सैनी देवेन्द्र सैनी दोनों आ रामनारायण सैनी नि. सागर 4- श्री राजेन्द्र जुनेजा पिता जगत सिंह नि. भोपाल
0000000

उपरोक्त ानुसार आपको सूचित किया जाता है कि आवेदिका सिमरन तुलसानी पत्नी राम तुलसानी नि. कैलाश नगर बैरागढ द्वारा ग्राम सेवनिया गौड .प.ह.न. 92- तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल स्थित भूमि खसरा नं.-12/2/4 12/2/5. रकवा 0.0130 हे.+0.0330 हे. 0.1000 हे. भूमि के बटाकन हेतु मौका जाँच करने हेतू आदेशित किया गया है।

अतएव दिनांक 30/03/2026 समय बजे आवेदक की भूमि का मौका जाँच किया जाना सुनिश्चित किया गया है। पडोसी कृषक होने के नाते आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त स्थल पर समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं। अनुपस्थिति की दशा में मौका जाँच स्थगित नहीं किया जावेगा। अति आवश्यक शासकीय कार्य आने के कारण मौका जाँच की तिथि बढ़ाई जा सकेगी।

आवेदक अपनी स्वेच्छा से सूचना पत्र का प्रकाशन स्वयं के व्यय पर दैनिक समाचार पत्र में करा सकता है।

राजस्व निरीक्षक राज. परि. टी.टी. नगर भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-4479/अ-6/26
मौजा-ईटखेड़ी सड़क तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आवेदक श्रीमति शेर बानो पति श्री मो. नफीस सलमानी निवासी-138 अब्बास नगर गोदरमऊ गांधी नगर जिला भोपाल (म.प्र.) ने म.प्र.भू-रा. संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक एम.पी. 059692017ए1374389 दिनांक 04.07.2017 के आधार पर क्रय की गई भूमि स्थित ग्राम ईटखेड़ी सड़क तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक-129/2 रकबा 600 वर्गफिट अर्थात 55.76 वर्गमीटर भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 15.09.2025 को या इस से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01.09.2025 जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील-हुजूर भोपाल

जाहिर सूचना (बेदखली नोटिस)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार वर्ष बलवीर सिंह आत्मज श्री अमर सिंह आयु 51 निवासी-म.नं. 48, इब्राहिमगंज मेन मार्ग तहसील हुजूर जिला भोपाल मप्र का निवासी है तथा मेरे पक्षकार का पुत्र राजेन्द्र राणा उर्फ गौख राणा है, मेरे पक्षकार ने अपने पूरे होश हवास में सोच समझकर अपने पुत्र राजेन्द्र राणा उर्फ गौख राणा को अपने रिश्ते एवं अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है।

आज के बाद मेरे पक्षकार एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों से राजेन्द्र राणा उर्फ गौरव राणा का कोई वास्ता एवं सरोकार नहीं है भविष्य में मेरे पुत्र राजेन्द्र राणा उर्फ गौरव राणा द्वारा किये गये किसी भी पारिवारिक या व्यवसायिक संव्यवहार या वाद विवाद के कृत्य के लिये वह स्वयं जिम्मेदार एवं जबावदार होगें, मेरे पक्षकार द्वारा वैधानिक रूप से अपनी चल अचल संपत्ति एवं सभी रिश्ते नातेदारी से अपने पुत्र राजेन्द्र राणा उर्फ गौरव राणा को हमेशा हमेशा के लिये बेदखल कर दिया गया है।

भवदीय
विशाल रामनानी
एडवोकेट

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी टी नगर भोपाल
(शेड नं. 06 बारह दफ्तर जवाहर चौक भोपाल)

प्र.क्र.0020/अ-3/25-26

// इश्तहार//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गौरव शर्मा आ. स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा निवासी-02, सांई तीर्थ अपार्टमेंट नीरज हाउसिंग सोसायटी बावड़िया कलां भोपाल द्वारा ग्राम चूनाभट्टी स्थित भूमि खसरा नंबर 44/1/2/24 क्षेत्रफल 12196 भूमि के बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में किसी भी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में 07 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

कार्यालय नगर पालिक निगम, कटनी (मप्र)

क्र./5704/ विद्युत विभाग/2025-26 — कटनी, दिनांक-17/03/2026

// निविदा सूचना //

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/ निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_ 492215_1	सी.एल.पी. वार्ड क्रमांक 30 स्थित सन्यासी बाबा मंदिर रोड में पूर्व स्थापित विद्युत ट्रांसफॉर्मर को अन्यंत्र शिफ्ट कराये जाने का कार्य।	30 दिवस लागत- 2,41,930/-	2000/- 2419/-	02/04/26

नोटः- निविदा से सबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
वास्ते-आयुक्त
नगर पालिक निगम, कटनी

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

सार्वजनिक उद्घोषणा

रा.मा.क्र. 202/अ-20 (1)/सन्-2025-26

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार **स्थायी पट्टा नवीनीकरण** की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **17/04/2026** को प्रातः 11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष या स्वंय या अपने अधिवक्ता जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

नजूल शीट क्र.	नगरीय क्षेत्र का नाम	प्लाट क्र.	रकबा	विद्यमान अभिलेख में धारक/ धारकों के नाम /पिता/माता का नाम पूर्ण नाम पता	उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम/पिता/ माता का नाम पूर्ण नाम पता जिनके पक्ष में प्रकरण विचाराधीन है
11	कंदेली	76/3	1066.8 वर्गफुट	दीपराज मिश्रा आ. बद्रीप्रसाद मिश्रा सा गुरुद्वारा के वार्ड पटैल वार्ड कंदेली	दीपराज मिश्रा आ. बद्रीप्रसाद मिश्रा सा गुरुद्वारा के वार्ड पटैल वार्ड कंदेली

इश्तहार आज दिनांक 23/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
नरसिंहपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

सार्वजनिक उद्घोषणा

रा.मा.क्र.136/अ-20 (1)/सन्-2025-26

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार **स्थायी पट्टा नवीनीकरण** की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **17/04/2026** को प्रातः 11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष या स्वंय या अपने अधिवक्ता जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

नजूल शीट क्र.	नगरीय क्षेत्र का नाम	प्लाट क्र.	रकबा	विद्यमान अभिलेख में धारक/ धारकों के नाम /पिता/माता का नाम पूर्ण नाम पता	उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम/पिता/ माता का नाम पूर्ण नाम पता जिनके पक्ष में प्रकरण विचाराधीन है
05	करेलीगंज	67	1651 वर्गफुट	गोपाल प्रसाद आ. रामचंद्र गुप्ता सा करेलीगंज	गोपाल प्रसाद आ. रामचंद्र गुप्ता सा करेलीगंज

इश्तहार आज दिनांक 23/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
नरसिंहपुर